उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–2418 / छः–पु0–9–16–13(10) / 84टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 22 अगस्त,2016

अधिसूचना
(प्रकीर्ण)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या–5 सन् 1861) की धारा–34 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित जिले में, स्तम्भ–3 में उल्लिखित मेला द्वारा अध्यासित किये जाने वाले, स्तम्भ–4 में उल्लिखित ग्रामीण क्षेत्र पर उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों का विस्तार, उक्त उपधारा (1) में उल्लिखित सभी अपराधों के सम्बन्ध में, स्तम्भ–5 में मेला के सामने उल्लिखित अवधि के लिए करते हैंः–

–ःअनुसूचीः–

क0	जिला का नाम	मेला का नाम	मेला का स्थान	अवधि (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए)
1	2	3	4	5
1	सम्भल	गंगा मेला सिसौना डांडा	ग्राम–सिसौना डांडा के निकट अनूपशहर पुल परगना रजपुरा, तहसील गुन्नौर, मुख्य धारा के समीप (1.5 कि0मी0 X1.5 किसी क्षेत्रफल)	दिनांक–07.11.2016 से 21.11.2016 तक

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या–2418(1) / छः–पु0–9–2016,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को गजट के आगामी अंक के भाग–4,खण्ड–'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। पांच–पांच मुद्रित प्रतियां शासन एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या–2418(2) / छः–पु0–9–2016,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0,लखनऊ।
(2) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
(3) जिला मजिस्ट्रेट, सम्मल को उनके पत्रांक–348 / न्या0 सहा0 / 2016–17 दि0–10.8.16 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया मुद्रित प्रतियां संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ से शीघ्र प्राप्त करने का कष्ट करें।
(4) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(5) पुलिस अधीक्षक सम्भल।
(6) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–2418ए/छः–पु0–9–16–13(10)/84टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 22 अगस्त,2016

अधिसूचना
(प्रकीर्ण)

सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या–3, सन् 1867) की धारा–2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्धों का (जिनका विस्तार पहले नहीं किया गया है) जिला सम्भल में गंगा मेला सिसौना डांडा के क्षेत्र पर जिसमें ग्राम–सिसौना डांडा के निकट अनूपशहर पुल परगना रजपुरा, तहसील गुन्नौर और उक्त मेला के 1.5 कि0मी0 x 1.5 कि0मी0 क्षेत्रफल के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट है, दिनांक–07.11.2016 से 21.11.2016 (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) तक की अवधि के लिए विस्तार करते हैं।

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या–2418ए(1)/छः–पु0–9–2016,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को गजट के आगामी अंक के भाग–4,खण्ड–'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। पांच–पांच मुद्रित प्रतियां शासन एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या–2418ए(2)/छः–पु0–9–2016,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0,लखनऊ।
(2) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
(3) जिला मजिस्ट्रेट, सम्मल को उनके पत्रांक–348/न्या0 सहा0/2016–17 दि0–10.8.16 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया मुद्रित प्रतियां संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ से शीघ्र प्राप्त करने का कष्ट करें।
(4) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(5) पुलिस अधीक्षक सम्भल।
(6) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।